भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3917 का उत्तर

सहरसा-सरायगढ़ रेल लाइन

3917. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहरसा से सरायगढ़ मपरियाही (बिहार), पूर्वी रेल मीटर गेज लाइन को वर्ष 2016 में आमान परिवर्तन के लिए बंद कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधियों की कमी और निधियों के कम आबंटन के कारण अब तक केवल 20 किमी निर्माण कार्य पूरा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस खंड के आमान परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण रेललाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

सहरसा-सरायगढ़ रेल लाइन के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री दिलेश्वर कामैत के अतारांकित प्रश्न संख्या 3917 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): सहरसा-सरायगढ़ खंड पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाली सकरी-झंझारपुर-निरमली, झंझारपुर-लौकाहा बाजार और सहरसा-सरायगढ़-फारबिसगंज (206 कि.मी.) आमान परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना 2003-04 में स्वीकृत की गई थी और इसकी नवीनतम अनुमानित लागत 1470.50 करोड़ रुपए है, जिसमें से मार्च 2019 तक 594.75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं और 2019-20 के दौरान इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए के पर्याप्त परिव्यय का आवंटन किया गया है। 27 कि.मी. कार्य पूरा भी कर लिया गया है।

सहरसा- सरायगढ़ खंड में मपरियाही नाम का ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। 01.12.2015 को थेरबितिया-राघोपुर खंड के लिए और 25.12.2016 को सहरसा-थेरबितिया खंड के लिए यातायात ब्लॉक लिया गया।

समूचे खंड पर कार्य का निष्पादन शुरू कर दिया गया है। अभी तक सकरी-मंदन मिश्रा हॉल्ट (11 कि.मी.) और सहरसा-गढ़बरौरी (16 कि.मी.) खंडों पर यातायात चालू कर दिया गया है और शेष खंडों पर निर्माण कार्य शुरु कर दिए गए हैं।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग , विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन के समय और लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंततः कार्य समापन स्थिति पर गणना की जाती है। अतः परियोजना को पूरा करने के लिए, फिलहाल कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

****